संख्या-145 /2016/976/22-4-16-102(ब)/13टीसी

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 12 सितम्बर, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए तृतीय चरण में प्रदेश की 38 कारागारों में अत्याधुनिक " एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19579/आधु0-1/सि0पो0/2014, दिनांक 24 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए तृतीय चरण में प्रदेश की 38 कारागारों में अत्याधुनिक " एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली (ईसीआईएल) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रति कारागार रू0 13,28,200/- की दर से 38 कारागारों हेतु कुल रू0 5,04,71,600/-(रूपया पॉच करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार छः सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) ई0सी0आई0एल0 द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(ग) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(ड) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग/व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26- मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-145/2016/976(1)/22-4-2016-तददिनांक-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0, बी-2 डीडीए, शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड, नारायण, नई दिल्ली।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in